रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250818
CG-DL-E-22122023-250818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945
No. 725]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

संख्या 66/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 909 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, जिसे सा.का.नि. 328 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, सारणी में, शर्त संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2	(क) उपरोक्त शर्त संख्या 1 के खंड (ख) में निर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्राधिकार पत्र में उल्लिखित आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी), निम्नलिखित का आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) होगा -

	i. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा अधिसूचित नामांकित एजेंसियां (बैंकों के मामले में) ii. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथा अधिसूचित नामांकित एजेंसियां (अन्य एजेंसियों के मामले में) iii. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से, अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स, या iv. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथा अधिसूचित, वैध भारत-यूएई टीआरक्यू होल्डर्स जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से स्वर्ण आयात कर सकते हैं और जो आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आईएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट्स के माध्यम से अपने आयातों की भौतिक डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। (ख) आयातक, सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। बशर्ते कि सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब आयातक और वैध टीआरक्यू धारक, एक ही इकाई होंगे।"।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/104/2023-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022, को सा.का.नि. संख्या 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 63/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 30 नवम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 872 (अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2023

No. 66/2023-Customs

G.S.R. 909(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/2022-Customs,dated the 30th April, 2022,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the Annexure, in the Table, for Condition No. 2 and the entries relating thereto, the following Condition No. and entries shall be substituted, namely: -

"2	(a) Importer-Exporter Code (IEC), mentioned in Tariff Rate Quota (TRQ) authorization specified in clause (b) of Condition No. 1, shall be Importer Exporter Code (IEC) of - i. nominated agencies as notified by Reserve Bank of India (RBI) (in case of banks), ii. nominated agencies as notified by Directorate General of Foreign Trade (DGFT) (for other agencies), iii. qualified jewelers (as notified by International Financial Services Centres Authority (IFSCA)) through India International Bullion Exchange (IIBX), or iv. Valid India UAE TRQ Holders as notified by IFSCA through India International Bullion Exchange (IIBX) against the TRQ and can obtain physical delivery of their imports

	through IFSCA registered vaults located in SEZs as per guidelines prescribed by the IFSCA. (b) the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022: Provided that Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022 shall not be applicable if the importer and the TRQ Holder are the same entity.”.

[F. No. CBIC-190354/104/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 328 (E), dated the 30th April, 2022 and was last amended, *vide* notification No. 63/2023-Customs, dated the 30th November, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 872 (E), dated the 30th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.22 22:06:56 +05'30'